रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 1987/ज्येष्ठ 5, 1909
No. 254] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 1987/JYAISTHA 5, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 25 मई, 1987

का. आ. 516 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम बहुउद्देशीय शुष्क बैटरी (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 1987 है।

(2) यह 1 अक्तूबर 1987 को प्रवृत्त होगा।

2. इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बहुउद्देशीय शुष्क बैटरी" से उपयोग के लिए तैयार कोई एकल यूनिट पैक किया हुआ शक्ति सैल अभिप्रेत है जिस पर उपयुक्त रूप से जाकेट और लेबल लगाया हुआ है तथा जो बहुउद्देशीय प्रयोजन में उपयोग के लिए आशयित है :

(ख) "विनिर्दिष्ट मानक" से निम्नलिखित भारतीय मानक/विनिर्देश अभिप्रेत है :—

भा. मा. सं.	नाम
भा. मा. : 8144–1976	बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियों के लिए विनिर्देश

3. बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियों के विनिर्माण, आदि के संबंध में प्रतिषेध

(1) कोई व्यक्ति, स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, किसी ऐसी बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियों के विक्रय के लिए विनिर्माण या भंडार, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या करवाएगा जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है और उस पर भारतीय मानक ब्यूरो का मानक चिह्न लगा होगा :

परन्तु इस आदेश की कोई बात उन बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियों के निर्यात के संबंध में लागू नहीं होगी जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है किन्तु विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित किन्हीं विनिर्देशों के अनुरूप

है और ऐसे विनिर्देश किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट मानक से न्यून नहीं होंगे ।

(2) ऐसी अवमानक या त्रुटिपूर्ण बहुउद्देशीय शुष्क बैटरियों या कच्ची सामग्री या घटकों को जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नहीं है, इस प्रकार विरूपित किया जाएगा जिससे उनका उपयोग न किया जा सके और उनका स्क्रैप के रूप में व्ययन किया जाएगा ।

[संख्या 11(14)/85-87/बी आई एस]

पी. एन. कौल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 25th May, 1987

S.O. 516(E).—In exercise of the powers conferred by section 14 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986), the Central Government hereby makes the following order, namely :—

1. Short Title and commencement :—(1) This order may be called the Multipurpose Dry Batteries (Quality Control) Order, 1987.

(2) It shall come into force on the 1st day of October, 1987.

2. Definitions — In this order, unless the context otherwise requires :—

(a) "Multipurpose Dry Batteries" means a single unit packaged power cell ready for use appropriately jacketed and labelled and intended for use in multipurpose application ;

(b) "Specified standard" means the following Indian Standard specifications :

IS : No.	Title
IS : 8144-1976	Specification for Multipurpose Dry Batteries

3. Prohibition regarding manufacture etc. of Multipurpose Dry Batteries. —

(1) No person shall, by himself or by any person on his behalf, manufacture or store for sale, sell or distribute any Multipurpose Dry Batteries which do not conform to the Specified standard and it would be with the Standard Mark of the Bureau of Indian Standards.

Provided that nothing in this order shall apply in relation to export of Multipurpose Dry Batteries which do not conform to the Specified standard but conform to any specifications required by the foreign buyer and such specifications shall not in any case be less than the Specified standard.

(2) The sub-standard or defective Multipurpose Dry Batteries or raw material or components which do not conform to the Specified standard shall be deformed beyond use and disposed of as scrap.

[No. 11(14)/85-87/BIS]

P. N. KAUL, Economic Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987